

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 85/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. उमाराम पुत्र भेराराम		1. केसाराम पुत्र उदाराम
2. मुकनाराम पुत्र भेराराम		2. आईदानराम पुत्र ईसराराम
3. रावताराम पुत्र भेराराम		3. मेहराराम पुत्र ईसराराम
4. मूलाराम पुत्र भेराराम जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		4. अणदाराम पुत्र चुतराराम
		5. मोटाराम पुत्र चुतराराम
		6. लिखमाराम पुत्र चुतराराम
		7. जालाराम पुत्र राजूराम
		8. छोलाराम पुत्र करनाराम
		9. अणदाराम पुत्र मुलाराम
		10. किशनाराम पुत्र लाधाराम
		11. लाधाराम पुत्र जेठाराम
		12. मुलाराम पुत्र केहराराम
		13. खरताराम पुत्र नथाराम
		14. ठाकराराम पुत्र हड़मानराम
		15. चैनाराम पुत्र रूपाराम
		16. मोतीराम पुत्र रूपाराम
		17. रामाराम पुत्र डूंगराराम
		18. हरखाराम पुत्र डूंगराराम
		19. सांवलाराम पुत्र डूंगराराम
		20. पुरखाराम पुत्र मगाराम
		21. कंवराराम पुत्र पूनमाराम जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		22. जसुराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर
		23. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वारसे-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति

1. श्री बीजाराम गोदारा, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।


आदेश

दिनांक 07.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खेत मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 506, 507, 725/432, 727/505, 505/1, 726/432, 728/505 रकबा, क्रमशः 0.0081 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 2.1964 हैक्टेयर, 10.7598 हैक्टेयर, 0.1375 हैक्टेयर, 0.7322 हेक्टेर, 3.6000 हेक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 506, 507, 725/432, 727/505, 505/1, 726/432, 728/505 रकबा, क्रमशः 0.0081 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 2.1964 हैक्टेयर, 10.7598 हैक्टेयर, 0.1375 हैक्टेयर, 0.7322 हेक्टेर, 3.6000 हेक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 506, 507, 725/432, 727/505, 505/1, 726/432, 728/505 रकबा, क्रमशः 0.0081 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 2.1964 हैक्टेयर, 10.7598 हैक्टेयर, 0.1375 हैक्टेयर, 0.7322 हेक्टेर, 3.6000 हेक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 506, 507, 725/432, 727/505, 505/1, 726/432, 728/505 रकबा,


उपखण्ड अधिकारी

कमशः 0.0081 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 2.1964 हैक्टेयर, 10.7598 हैक्टेयर, 0.1375 हैक्टेयर, 0.7322 हेक्टेर, 3.6000 हेक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 506, 507, 725/432, 727/505, 505/1, 726/432, 728/505 रकबा, कमशः 0.0081 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 2.1964 हैक्टेयर, 10.7598 हैक्टेयर, 0.1375 हैक्टेयर, 0.7322 हेक्टेर, 3.6000 हेक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 506, 507, 725/432, 727/505, 505/1, 726/432, 728/505 रकबा, कमशः 0.0081 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 2.1964 हैक्टेयर, 10.7598 हैक्टेयर, 0.1375 हैक्टेयर, 0.7322 हेक्टेर, 3.6000 हेक्टेयर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी